निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 85 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के माह 09/2015 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01/12/2018 से 10/12/2018 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी. के. मट्टू एवं श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 02/09/2015 से 10/09/2015 तक..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:** कर्णप्रयाग, गैरसैण ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	395.43	395.22	933.01	933.01		0.21		-
2017-18	-	-	483.15	482.16	1860.84	1860.84		0.99		-
2018-19			421.66	323.12	1103.32	782.91		-		418.49

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। घाट रामणि मोटर मार्ग का बी एम , एस डी बी सी से डामरीकरण का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर परन्तु DP/PDP Prone कार्य के आधार पर किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 15/09/18 का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तक की गई।

7. फार्म-51: माह 06/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ (-) 16748/-

भाग द्वितीय ₹ 534684/-

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम -- शून्य --
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन ` 518.18/- लाख
(घ) निक्षेप ₹ 28.47/- लाख
(ङ) भण्डार ₹ 69.26/- लाख

भाग-II (ब)

प्रस्तर (1):- जीपीडबल्यू-9 के प्रावधान का पालन नहीं किए जाने के कारण व्यायाधिक्य-`11.45 **लाख ।**

As per clause 13.2 of GPW-9, if the rates for the additional, altered, or substituted work include any work for which no rates are specified in the contract for the work or can not be derived from similar class of work in the contract then such work shall be carried out at the rates entered in Schedule of rates minus/plus percentage which the total tendered amount bears to the estimated cost of the work put to tender.

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 5690 **/ III (2) / 11-37 (**प्रा0आ0) / **2012** दिनांक **20** नवम्बर 2012 के द्वारा श्री नन्दा राजजात यात्रा के अंतर्गत जनपद चमोली में विधानसभा थराली में घाट- थराली मोटर मार्ग (लम्बाई-13.50 किमी) के सुधारीकरण, सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य हेतु ` **601.90** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लिए ` **601.90** लाख की प्रविधिकी स्वीकृति जनवरी 2013 में मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु ` **578.39** लाख तथा शेष राशि ` **23.13** लाख गुण नियंत्रण / आकस्मिकता के लिए प्रावधानित थी।

प्रतिवेदन जिसके आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी उसमे मूल रूप से 1.5 किमी मार्ग, जो पूर्व से लेपित थी, को छोड़ कर मार्ग कच्चा था इसलिए जी-1, जी-2 एवं जी-3 का कार्य किया जाना था तथा पूर्ण लम्बाई में **Premix Carpet** एवं **Sealcoat** से मार्ग का निर्माण किया जाना था किन्तु बाद में अतिरिक्त मद के द्वारा 1.5 किमी मार्ग जो पूर्व से लेपित थी, को बीएम/एसडीबीसी से कराये जाने का निर्णय 24 जुलाई 2014 को लिया गया था।

कार्य सम्पादन के लिए निविदा सूचना संख्या 8095/29 याता-7 दिनांक 01 दिसम्बर 2012 को प्रारम्भ की गयी थी और अधीक्षण अभियंता के स्तर से अनुबंध संख्या 13/**SE-7/2012-13** दिनांक 07 फ़रवरी 2013 गठित की गयी थी। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि क्रमश: 27 फ़रवरी 2013 एवं 26 नवम्बर 2013 थी। कार्य पूर्ण होने के निर्धारित तिथि 26 नवम्बर 2013 के सापेक्ष मार्च 2017 तक ` **520.51** लाख की लागत से पूर्ण हुआ था।

कार्य के संबन्धित अभिलेखो के जांच से अवगत हुआ कि कार्य 03 वर्ष 04 माह देरी से पूर्ण हुआ था। **1.5** किमी में बीएम/एसडीबीसी से कार्य कराये जाने के लिए स्वीकृत **Extra Item Slip** से ज्ञात होता है कि अतिरिक्त मद के कार्य **SOR-May 2012,** जिसके आधार पर कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत की गयी थी**,** में उपलब्ध दर से न कराकर अन्य दर से संपादित कराया गया था जिसके कारण ` **11,44,726.00** का अधिक व्यय हुआ था जिसका विवरण नीचे है।

Item	**Quantity (M^3)**	**Rate in Extra item slip/ Bill (in `)**	**Rate in the SOR-May 2012 on which estimate was prepared (in `)**	**Difference (in `)**	**Amount (in `) (qty * Diff)**
BM	**290.59**	**9988.00**	**7773.10**	**2214.50**	**6,43,627.00**
SDBC	**156.69**	**12753.00**	**9618.80**	**3134.20**	**4,91,098.00**
Total					**11,44,726.00**

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने में 03 वर्ष से अधिक समय के देरी होने के बिन्दु पर अवगत कराया गया कि वर्ष 2013 की दैवी आपदा एवं अग्रेतर वर्षो में तीव्र वर्षा के कारण कार्य-पूर्ण होने में देरी हुई थी। अतिरिक्त मद में **1.5** किमी में बीएम/एसडीबीसी का **SOR-May 2012** में उपलब्ध दर से न कराकर अन्य दर से संपादित कराये जाने के ` **11,44,726.00** का अधिक व्यय के संबंध में बताया गया कि ठेकेदार द्वारा पुरानी दर से कार्य कराये जाने पर मना करने के कारण कार्य को **SOR-May 2014** के दर पर कराया गया था जिसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता के द्वारा प्रदान की गयी थी।

GPW-9 के **clause-13 (2)** के प्रावधान का पालन नहीं किए जाने के कारण खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जिसके कारण ` **11.45** लाख का अधिक व्यय हुआ था। पुनः यह भी विदित है कि इसी ठेकेदार के द्वारा घाट-रामनी मोटर मार्ग पर बीएम/एसडीबीसी का कार्य संपादित किया जा रहा था।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 2-: शासकीय निधि सहित अर्जित ब्याज (` 5.50 लाख) को बैंक के बचत खाते में park किया जाना -:` 68.08 लाख ।

Rule 21 of the General Financial Rule pertaining to Standards of financial propriety provides that every officer incurring or authorizing expenditure from public moneys should be guided by high standards of financial propriety. Every officer should also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing officers. The sub-rule (ii) of the rule-21 provides that the expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. Further, Rule-**21 of Financial Hand Book volume-V (FHB-vol-5)** provides that, Under Treasury Rule 7(1), all moneys as defined in articles 266, 267 and 284 of the Constitution, received by or tendered to Government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government Account. Rule 22-B of FHB-vol-5 provides that, under Rule 9 of the Treasury Rules, a government servant may not, except with the special permission of the Government, deposit in a bank moneys withdrawn from the Government Account under the provisions of Section VII of the Treasury Rules (Appendix II).

अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के रोकड़ बही के जांच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड द्वारा मार्च 2006 से भारतीय स्टेट बैंक, के गौचर शाखा में बचत खाता संख्या-11298551070 का संधारण किया जा रहा था जिसमे वर्तमान (04 दिसम्बर 2018) तक `68,08,473.14 की राशि शेष है। यह खाता कार्यालयाध्यक्ष के पदनाम यथा अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर के नामे संधारित की जा रही है। इस संबंध में यह विदित है कि उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 99/XXVII (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर 2009 कोषागार से आहरित सरकारी निधि को बैंक में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है और बैंक में park किए गए राशि को ब्याज सहित, यदि है तो, कोषागार में प्रेषित कर देना चाहिए। यदि फिर भी आवश्यक हो तो कोषागार में Personal Ledger Account को खोलकर उसमे राशि को जमा किया जाना चाहिए तथा उसमे से व्यय किया जाना चाहिए परंतु इसके विपरीत, अवगत कराया गया कि इस खाते में कोषागार से मुआवजा के भुगतान के लिए निकाली गयी अवितरित राशि का प्रेषण किया जाता रहा है। इसके साथ ही, इस खाते में मार्च 2006 से 04 दिसम्बर 2018 तक ` 9,70,049.29 की राशि ब्याज के रूप में बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया था जिसमे से ` 4,20,039.00 की राशि कोषागार में चालान दिनांक 27 मार्च 2018

के द्वारा प्रेषित की गयी थी जबकि शेष राशि `5,50,010.29 अभी भी बैंक खाते में पडी है जिसका विवरण निम्नवत है।

बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि								
क्र0 सं0	दिनांक	राशि	क्र0 सं0	दिनांक	राशि	क्र0 सं0	दिनांक	राशि
1	30.06.2006	20980.02	9	31.12.2012	9493.00	17	25.09.2016	8356.00
2	31.12.2006	42261.27	10	30.06.2013	9527.00	18	25.12.2016	48801.00
3	30.06.2009	11336.00	11	31.12.2013	9877.00	19	25.03.2017	66808.00
4	31.12.2009	11535.00	12	30.06.2014	9912.00	20	25.06.2017	66229.00
5	30.06.2010	11540.00	13	25.12.2014	9941.00	21	25.09.2017	58532.00
6	31.12.2010	10717.00	14	25.06.2015	29563.00	22	25.12.2017	158890.00
7	30.06.2011	11471.00	15	25.12.2015	22627.00	23	25.06.2018	83126.00
8	30.06.2012	11317.00	16	25.06.2016	86830.00	24	25.09.2018	160380.00
कुल ब्याज								**970049.29**
25 जून 2017 से 25 मार्च 2016 तक अर्जित ब्याज जो कोषागार में प्रेषित की गयी थी								**420039.00**
शेष राशि जो कोषागार में प्रेषित नहीं की गयी थी								**550010.29**

पुनः खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए बैंक स्टेटमेंट एवं पासबुक से ज्ञात होता है कि वर्ष 2007 के 02 छमाही, 2008 के 02 छमाही 2016 के एक तिमाही (मार्च 2016) एवं 2018 के एक तिमाही (मार्च 2018) यथा कुल चार छमाही एवं दो तिमाही के अर्जित ब्याज को खाते में क्रेडिट नहीं किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि कास्तकारों के नाप-भूमि के प्रतिकर की धनराशि जमा की जाती रही है। इसके साथ ही, बैंक खाते के संबंध में पूर्व में ही पत्र के माध्यम से उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा चुका है और जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। खंड द्वारा बैंक खाता खोले जाने के आधार के संबंध में बताया गया कि खाता पुराना होने के कारण दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और संभवत: उच्चाधिकारियों के आदेश पर किया गया होगा। अवशेष ब्याज की राशि को शीघ्र ही राजस्व विभाग को जमा कर दी जाएगी। बैंक द्वारा कुल चार छमाही एवं दो तिमाही के अर्जित ब्याज को खाते में क्रेडिट नहीं किए जाने के संबंध में बताया गया कि बैंक से पत्राचार करने के बाद ब्याज की राशि को राजस्व विभाग को जमा कर दी जाएगी।

खण्ड का उत्तर अधिकतर लेखा परीक्षा अवलोकन की स्वीकारोयुक्ति है परंतु खंड का उत्तर शासकीय निधि को बैंक खाते में रखने से संबन्धित उत्तर बिलकुल भी मान्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर 2009 की अवहेलना की गयी थी।

भाग–2 ब

प्रस्तर 3 :– एकल निविदा के सापेक्ष कार्य कराये जाने के कारण ` 92.34 लाख का परिहार्य व्यय एवं ` 1.85 लाख लेबर सेस की कम वसूली तथा ` 7.07 लाख मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न किया जाना।

नन्दा देवी राजजात के अन्तर्गत घाट रामणी मोटर मार्ग का बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण (किमी0 01 से किमी0 16) निर्माण कार्य हेतु ` 702.94 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (11/2012)। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(ग0क्षे0), लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गई थी (01/2013)। कार्य हेतु एक अनुबन्ध 14/SE-7/12 dated 27.02.2013 धनराशि ` 6.71 करोड़ का M/S RG Buildwell के साथ गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथ क्रमशः 26.11.2013 एवं 27.02.2014 थी। कार्य पूर्ण हो चुका था।

अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कार्य पर अन्तिम देयक के अनुसार ` 6.45 करोड व्यय किया गया था जिस पर एक प्रतिशत की दर से ` 6.45 लाख लेबर सेस की कटौती की जानी थी परन्तु ` 4.60 लाख की कटौती की गई अर्थात् ` 1.85 लाख की कम कटौती की गई थी।

आगे जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा एकल निविदा के सापेक्ष ठेका देकर कार्य का अनुबन्ध ` 92.34 लाख अधिक पर गठित किया गया था। यदि पूनः निविदाए आमंत्रित कर ली जाती तो एक प्रतिस्पृधात्मक निविदाए प्राप्त की जाती **तथा** ` 92.34 लाख के व्यय से बचा जा सकता था। आगे जांच में पाया गया कि कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 11/2012 में प्राप्त हुई थी, कार्य की तकनीकी स्वीकृति 01/2013 में प्राप्त हुई थी जबकि कार्य हेतु निविदाए माह 09/2012 अर्थात् कार्य की वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही आंमत्रित कर ली गई थी जो वित्तीय नियमों के विपरीत था।

आगे जांच में पाया गया खण्ड द्वारा ठेकेदार को ` 67.00 लाख मोबलाइजेशन अग्रिम दिया परन्तु खण्ड द्वारा सम्पूर्ण अग्रिम एवं उस पर ब्याज की वसूली नहीं की गई थी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखो की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा ठेकेदार से ` 7.07 लाख मोबलाईजेशन अग्रिम की पर ब्याज की कम वसूली की गई थी। **जो लेखापरीक्षा तिथि (12/2018) तक वसूल नहीं किया गया था जबकि कार्य पूर्ण हो चुका था।**

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा लेबर सेस कटौती के सन्दर्भ में बताया कि लेबर सेस की गणना पूनः कर ली जायेगी एवं ठेकेदार से कटौती कर ली जायेगी। मोबलाइजेशन अग्रिम

एवं ब्याज की वसूली के सन्दर्भ में बताया कि पुनः जांच कर कटौती कर ली जायेगी। एकल निविदा के सापेक्ष ठेका देकर ` 92.34 लाख के परिहार्य व्यय के सम्बन्ध में बताया कि नन्दाराज जात यात्रा 2013 में प्रस्तावित होने के कारण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाना नितांत आवश्यक था। समयबद्धता के कारण यदि दोबारा निविदा आमंत्रित की जाती तो समय की हानि होती जिससे कार्य को शीघ्र पूर्ण नहीं कराया जा सकता था इसलिए एक ही निविदा पर विचार किया गया। वित्तीय/प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में खण्ड द्वारा बताया गया कि नन्दाराज जात यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए Primary Estimate के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई तत्पश्चात वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई।

एकल निविदा के आधार पर ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि कार्य प्रारम्भ की इतनी ही जल्दी थी तो कार्य अनुबन्धानुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि (26.11.13) से लगभग 3 वर्ष 4 माह पश्चात (25.03.2017) तक क्यों पूरा किया गया। वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में भी खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा लगभग 3 वर्ष 4 माह की देरी से कार्य समाप्त किया गया। अवशेष लेबर सेस एवं मोबलाईजेशन अग्रिम एवं इस पर ब्याज की अवशेष कटौती/वसूली भविष्य में ठेकेदार से किये जाने हेतु खण्ड द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः एकल निविदा के सापेक्ष कार्य कराये जाने के कारण ` 92.34 लाख परिहार्य व्यय, ` 3.27 लाख लेबर सेस की कम वसूली एवं ` 7.07 मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:-4 रु0 4.88 करोड़ व्यय के बाद भी कार्य का पूर्ण नहीं होना |

As per the rule 378 of Financial Handbook Volume – VI, no work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग गौचर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि मा0 मुख्यमंत्री घो0सं0 25/2011 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सिमली में पिण्डर नदी पर 80 मी0 स्पान लौह सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु रू0 8,74,42,575.00 निविदा लागत से अनुबन्ध संख्या 08/एस0ई0 –7/2017 दिनांक 17.03.2017, कार्य प्रारम्भ की तिथि -17.03.2017 एंव कार्य समाप्ति की तिथि- 16.09.2018, गठित किया गया था लेखा परीक्षा तिथि तक ठेकेदार को VIth Running Bill तक रू0 48770823.00 का भुगतान किया जा चुका है परन्तु उक्त निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक (11/18) तक पूर्ण नही हुआ है।

कार्य समय पर समाप्त नही होने पर जी0सी0सी0 45 व पी0सी0सी0 46.1 के अन्तर्गत LiquidatedDamages 10% of the initial Contract Price i.e. Rs 87442575.00 की दर से किसी भी चालू देयक से कटौती नही की गई, न ही कोई समय वृद्धि दी गयी थी।

उक्त के संबंध में खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि सेतु के साइट इरेक्सन हेतु नदी को चैनलाइज़ (डाईवर्ट) किया जाना था जिस हेतु जिलाधिकारी चमोली को इस कार्यालय सी0 दिनांक 17.1.18 द्वारा लिखा गया था, जिलाधिकारी चमोली द्वारा अपने पत्रांक 2396/तीस उप खनि0 टि0चु0 (2017-18) दिनांक 25.1.18 द्वारा संयुक्त निरीक्षण दल गठित किया गया था, जिसमें (1) खनन अधिकारी (सचिव) (2) उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग (3) प्रभागीय वनाधिकारी गोपेश्वर (4) अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड कर्णप्रयाग को आख्या देनी थी । काफी प्रयासों के बावजूद उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग के पत्र सं0 52/एस0टी0-विविध/2018-19 दिनांक 3.12.18 द्वारा नदी के डाईवर्जन एवं अन्य कार्य हेतु दिनांक 4.12.18 को संयुक्त निरीक्षण किया गया है। संयुक्त निरीक्षण की आख्या दल द्वारा जिलाधिकारी चमोली को प्राप्त होने के उपरांत ही नदी को डाईवर्जन किए जाने की अनुमति प्राप्त हो जायेगी। इस के उपरांत ही सेतु का स्थल इरेक्शन का कार्य प्रारभ्भ हो पायेगा। इस कारण विलंब में ठेकेदार का दोष नहीं है। जिस कारण LiquidityDamages प्रभावी नहीं होता है। समयवृद्धि संयुक्त निरीक्षण एवं अनुमति प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया गया है।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग ने उपरोक्त वित्तीय नियमों के विपरीत बगैर स्पष्ट स्थल के अनुबंध गठित किया गया जिसके कारण रु0 4.88 करोड़ व्यय करने के बाद भी कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि (सितम्बर 2018) बीत जाने के 2 माह बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतः रु0 4.88 करोड़ व्यय के बाद भी कार्य का पूर्ण नहीं होना का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

STAN

प्रस्तर –1 `(-) 36.73 लाख एवं धनराशि ` 28.37 लाख का विगत कई वर्षो से समायोजन न किया जाना।

खण्ड की वर्ष 2018–19 की प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की नमूना जांच में पाया गया है कि खण्ड द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का ` 36.73 लाख विगत विभिन्न वर्षो से देय था जो लेखापरीक्षा तिथि (11/2018) तक असमायोजित था :– `

1- Hindustan corporation	(-) 26510/-	03/1999 से
2- Cement corporation Rishikesh	(-) 6100/-	04/1999
3- M/S Indian oil ltd	(-)3577434	09/2010
Marketing division Roorkee		
4- Sh. Yogender singh Barthwal	(-)45836	03/2013
5- Sh. Mangal singh contractor	(-)17324	11/2012
Total	(-)3673204	

आगे नमूना जांच में यह भी पाया गया कि अन्य धनराशि ` 28.37 लाख विगत कई वर्षो से विभिन्न संस्थाओ/ठेकेदारो/कर्मचारियों/अधिकारियों/अन्य के विरुद्ध विगत कई वर्षो से असमायोजित पडी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया कि शीघ्र ही समायोजन कर लिया जायेगा। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनो धनराशियों लगभग विगत 05 से 17 वर्षो से असमायोजित पडी हुई थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
09/2003-04	-	1, 2, 3, 4
18/2004-05	1, 2, 3	1, 2
03/2005-06	1, 2, 3, 4	1, 2
09/2006-07	-	1, 2, 3
03/2007-08	-	2, 3
27/2009-10	1, 2, 3, 4	1, 2
101/2011-12	1	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खण्ड ने उत्तर में बताया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुत कराकर कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित कर दी जाएगी । अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   माप पुस्तिका संख्या - 201, 208, 210, 212, 214, 215, 222, 224, 227, 230, 239, 244, एवं 245

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री करण सिंह राणा	अधिशासी अभियन्ता	28/05/16 से 31/08/18 तक।
2.	श्री राजेश चंद्रा	अधिशासी अभियन्ता	01/09/18 से 22/10/18 तक।
3.	श्री सत्यवीर सिंह	अधिशासी अभियन्ता	23/10/18 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

1. श्री राम प्रकाश चौरसिया
2. श्री कृष्ण कुमार सागर
3. श्री दीपक कुमार दुबे

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II